संतकबीरनगर पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा० कौरतुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक बेलहरकला के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 239 / 2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मेहदावल में वांछित अभियुक्त नाम पता संजय प्रजापित पुत्र जयकरन उर्फ रामउजागिर प्रजापित निवासी सतदेईया उर्फ सबदेईया कला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 31.12.2020 को समय 11.30 बजे मेहदावल बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

संजय प्रजापति पुत्र जयकरन उर्फ रामउजागिर प्रजापति निवासी सतदेईया उर्फ सबदेईया कला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री प्रदीप कुमार सिंह मय हमराह।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता रामबोल पुत्र परशुराम निवासी सरौआ राजापुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 411 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना महुली पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता कन्हैया सोनकर उर्फ गुड्डु सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी कस्बा महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 415 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा अपहृता बरामद

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 122 / 2020 धारा 363 भादवि थाना धर्मसिंहवा से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः- उ०नि० श्री अनिल कुमार राय, का० रामविलास, म०का० अन्नू देवी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

• थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा विवाद को कराया गया शांत — पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 12619 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बेलहरकला को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ -मु0आ0 योगेन्द्र प्रसाद, आ0 रंजन राजभर, हो0चा0 देवेन्द्रनाथ राय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 160000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 160000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।